कार्यालय लोक सूचना अपीलीय अधिकारी एवं जिला कलक्टर हनुमानगढ

प्रकरण संख्या 117/2017 सूचना के अधिकार के अन्तर्गत

श्री बलवन्तराम पुत्र श्री माईदान राम जाति मेधवाल
निवासी वार्ड नं0 7 सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
——अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार राजस्व संगरिया।
——प्रत्यार्थी

आदेश दिनांकः—19.12.2017

यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार राजस्व संगरिया के विरूद्ध प्राप्त हुई।

अपीलार्थी उपस्थित नही। अपीलार्थी के अपील में अंकित तथ्यो के अनुसार सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार राजस्व संगरिया से सूचना मांगी थी। सूचना नही मिलने पर अपीलार्थी द्वारा सूचना उपलब्ध करवाने हेतु यह अपील की गई है।

पत्रावली का अवलोकन किया। लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार राजस्व संगरिया से इस अपील में कोई जवाब प्राप्त नही हुआ है। अंतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है। लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार राजस्व संगरिया को निर्देश दिये जाते है कि वे अपीलार्थी के आवेदन पत्र दिनांक 03.10.2017 के अनुसार सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत उसके द्वारा चाही गई सूचना अपीलार्थी को सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत नियमानुसार उपलब्ध करवाई जावे। आदेश की प्रति दोनो पक्षो को भेजी जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफतर की जावे।

लोक सूचना अपीलीय अधिकारी
एवं जिला कलक्टर
हनुमानगढ

Legal Copy Not Official